सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 17.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन ने जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/शिकायतों को सुना।

आज दिनांक 17.07.2025 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस कार्यालय मे जनसुनवाई किया गया। जनसुनवाई मे कुल 06 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिसमे 05 भूमि विवाद तथा 01 चोरी से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र थें। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेशित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 17.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना जोगिया उदयपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹15,000/-के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 17-07-2025 को ST.N 848/2021 मु0अ0सं0 19/2021 धारा-498A, 304B भा0द0वि0 तथा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश मो0 रफी न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त विनोद पुत्र त्रिभुवन उर्फ गोजई निवासी दोहनी थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹15,000/-के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार थाना जोगिया उदयपुर मुख्य आरक्षी अशोक का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 17.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में की गयी अपराध गोष्ठी।

◆अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण एवं शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 17.07.2025 को पुलिस लाइन स्थित सभाकक्ष में अपराध गोष्ठी किया गया। अपराध गोष्ठी की शुरुआत सैनिक सम्मलेन से हुआ। सर्वप्रथम पूर्व सैनिक सम्मलेन में उठे समस्याओं के समाधान के बारे में प्रतिसार निरीक्षक ने बताया तथा सम्मलेन में उपस्थित समस्त थानों से आये थानाध्यक्ष व कर्मचारीगण की समस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेशित किया गया। तत्पश्चात महोदय द्वारा श्रावण मास/कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत तथा जनपद में कानून एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु के दृष्टिगत कृत कार्यवाही की समीक्षा तथा शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, आपरेशन त्रिनेत्र के तहत स्थापित सीसीटीवी कैमरो की क्रियाशीलता, डिजिटल वॉरियर बनाये जाने की कार्यवाही की समीक्षा, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित अभियोगों की समीक्षा, सम्पत्ति व महिला उत्पीड़न सम्बन्धित पंजीकृत अभियोगों में कृत कार्यवाही, गुमशुदा/लापता व बरामदगी हेतु शेष बच्चो की बरामदगी के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही तथा लम्बित मुकदमों में एकत्रित साक्ष्य एवं गुण-दोष के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने व गैगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही तथा बीपीओ द्वारा अंकित कराये गये बीट सूचना इत्यादि की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी अग्नि शमन, अभियोजन अधिकारी, प्रतिसार निरीक्षक, निरीक्षक प्रज्ञान शाखा, निरीक्षक रेडियो शाखा, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, आशुलिपिक पुलिस अधीक्षक, वाचक पुलिस अधीक्षक, प्रभारी यू0पी0-112, समस्त शाखा प्रभारी व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रेस नोट दिनांक 17.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना कपिलवस्तु पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को 05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹20,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 17-07-2025 को ST.N 78/2019 मु0अ0सं0 38/2019 धारा- 354ख भा0द0वि0 तथा 9/10 पॉक्सो एक्ट मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वीरेन्द्र कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त अबू हरेरा पुत्र शोहरत निवासी बैरख थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर को 05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 20,000/-के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार कर पाठक तथा न्यायालय पैरोकार थाना कपिलवस्तु आरक्षी दीपक का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 17.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जनपदीय पुलिस द्वारा श्रावण मास व जनपद में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पैदल गश्त /चेकिंग की गयी।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 17.07.2025 को जनपद के क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा श्रावण मास/ कॉवड़ यात्रा व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पड़ने वाले भीड़-भाड़ वाले स्थानों के पर पैदल गश्त/संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहनों की चेकिंग की गयी। आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया।

प्रेस नोट- दिनांक 17.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित अभियोग में प्रभारी पैरवी कर सजा दिलाने पर विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो व पैरवीकार त्रिलोकपुर को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित मु0अ0सं0 03/2025 धारा 64(2)च, 64(2)ट, 351(3) बीएनएस व 5ट/6 पॉक्सो एक्ट बनाम अशोक कुमार चौधरी थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर की प्रभावी पैरवी कर अभयोग से सम्बन्धित साक्षी/गवाहों की गवाही माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/स्पेशल पॉक्सो एक में कराकर अभियोजन का मजबूती से पक्ष रखते हुए 02 माह के अन्दर ही अभियुक्त अशोक कुमार चौधरी उपरोक्त को आजीवन कठोर कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल तक) तथा 02 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराये जाने में अहम योगदान देने हेतु विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो पवन कुमार कर पाठक तथा पैरवीकार त्रिलोकपुर मुख्य आरक्षी भरत प्रसाद को डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 17.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना भवानीगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के 04 आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 1,500-1,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 09-07-2025 को ST.N 970/2019 मु0अ0सं0 52/2010 धारा- 323,504,506 भा0द0वि0 मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश उमम जाहिद न्यायालय जे0एम0 डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 1.शाफिया खातून पुत्री बरकत, 2.मोटे उर्फ मो0 हाशिम पुत्र युनुस, 3.सितारा खातून पत्नी बरकत, 4.मजीदुन्निशा उर्फ माजदा पुत्री मोट उर्फ हाशिम निवासीगण भालूकोनी थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 1,500-1,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक रामेन्द्र सिंह पटेल तथा न्यायालय पैरोकार थाना भवानीगंज सौरभ अग्रहरी का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 17.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना भवानीगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी से 01 आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 04-07-2025 को ST.N 226/2019 मु0अ0सं0 714/2014 धारा- 294,324,506 भा0द0वि0 मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश उमम जाहिद न्यायालय जे0एम0 डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त तसव्वर पुत्र बाबूल्लाह निवासी हटवा खुर्द थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक रामेन्द्र सिंह पटेल तथा न्यायालय पैरोकार थाना भवानीगंज सौरभ अग्रहरी का सराहनीय योगदान रहा।